मुकदमा संख्या : 61/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
12.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.। अधिवक्ता प्रार्थीगण को स्पष्टीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 8 की सामलाती खातेदारी भूमि मौजा जड.कुंआ के ख.नं. 123 रकबा 4.20 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड खतौनी संख्या-141 मौजा जड.कुंआ में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं-1 लगायत 8 के नाम से संयुक्त दर्ज है जिसमें प्रार्थी सं. 1 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी सं-2 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी सं-3 का 2963/56280 हिस्सा, प्रार्थी सं-4 का 2963/56280 हिस्सा, प्रार्थी संख्या-5 का 1327/14070 हिस्सा, तथा अप्रार्थी संख्या-1 का 6/105 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या, अप्रार्थी सं-2 का 7/126 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 प्रत्येक का 7/126, 7/126 हिस्सा दर्ज है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 अपने-अपने हिस्से अनुसार [illegible] आ रहे हैं। मौके पर काबिज [illegible] मौके पर वादग्रस्त [illegible] जिसका भौतिक रूप से [illegible] हुआ है, मगर प्रार्थीगण अपने हिस्से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

S.D.O.
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	अनुसार मौके पर संबंधित खातेदार काबिज होकर काश्त करते तथा पेड़ व बाड़ का उपयोग-उपभोग करते है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड खातेदार होने से उन्हें अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने तथा उपयोग-उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है साथ ही अपने हिस्से का बंटवारा करवाने का अधिकार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं.-1 लगायत 8 से कब्जा उपयोग-उपभोग आदि की सुविधा रहे इस हेतु दि. 10.11.2023 को अप्रार्थी नं.-1 लगायत 8 को अपने-अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया, परन्तु इंकार कर दिया तथा उल्टे अप्रार्थीगण के कब्जे वाली आराजी पर प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में जबरन दखलंदाजी करने व मौके से बेदखल करने की धमकी देने लगे तथा अवैध रूप से कब्जा का निर्णय करके एवं आराजी का बंटवारा करवाना रोका। जिनके हिस्से का बंटवारा करने की धमकी [illegible] नं.-1 लगा. 8 या अन्य किसी की आगे को वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	को विधिवत विभाजन करवाए बगैर आसामी का कोई भी हिस्सा बेचान/हुए करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है, फिर भी अप्रार्थी नं. - 1 लगायत 8 वादग्रस्त आराजी जो मौके पर सामलाती है उनका विभाजन करवाए बिना अवैधानिक रूप से किसी अनजान ऐब बदमाश व लठैतधारी व्यक्ति को बेचान करने की धमकियां दे रहे है वादग्रस्त आराजी पर विधिवत विभाजन से पूर्व किसी प्रकार का कोई कब्जा-पक्का निर्माण कार्य करेंगे तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी हकों से उपभोग-उपभोग से वंचित हो जावेंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रुपयों-पैसों में किया जाना संभव मुमकिन नहीं है) प्रार्थीगण अपने हित में निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज है अप्रार्थी नं. 1 लगा. 8 को हस्तांतरित करने की भी फिराक में है यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 8 वादग्रस्त आराजी का बेचान करेंगे तो प्रार्थीगण को [illegible] असुविधा होगी, [illegible] की प्रार्थीगण के [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
	है कि मौजा अड़तुआं के वादग्रस्त आराजी के ख.नं. 123 रकबा 4.20 हैक्टेयर प्रार्थीगण के हिस्से तथा कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग में है। अप्रार्थी नं.-1 लगायत 8 न तो खातेदारी स्वयं को ना ही किसी अन्य के करावें ना ही बेचान/रहन/ऐसा कब्जा पक्का निर्माण नहीं करें। इस आशय की वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें। हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी, उन पर मनन किया, पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मामलाती एवं संयुक्त खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उभयपक्ष को नुकसान होगा। दोनों पक्षों को [illegible] कैसे उस आदान-अनुदान, [illegible] का विभाजन आदि [illegible] भी जारी होगी [illegible] प्रार्थीगण [illegible] आराजी के विधि [illegible] विभाजन हेतु वाद पेश किया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नंबर :- 61/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	जो विवादग्रस्त, तनकीयात निर्धारण के पश्चात तय हो सकेगा, जिसमें हिस्सावार के अपना-अपना हिस्सा तय हो सकेगा। इस प्रकार उपयुक्त खातेदारी में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतया साबित व काबिल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner